# मध्यप्रदेश शासन
# पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 21932/22/वि–8/आर.जी.एम./95 भोपाल,

दिनांक 1/12/95

## आदेश क्रमांक – 5

प्रति,

1. अध्यक्ष, जिला पंचायत/कलेक्टर, परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण मुरैना/शहडोल/सीधी/बिलासपुर/रायगढ़/सरगुजा/दुर्ग/रायपुर/बस्तर/राजनांदगांव/बालाघाट/जबलपुर/मण्डला/सिवनी/बैतूल/छिंदवाड़ा/होशंगाबाद/धार/झाबुआ/खण्डवा/खरगौन/देवास/रतलाम/इंदौर/शिवपुरी/सतना/सीहोर/सागर/भिण्ड/गुना/शाजापुर/पन्ना/रीवा/रायसेन/दमोह/नरसिंहपुर एवं राजगढ़ (म.प्र.)
2. उक्त जिलों से संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (समस्त संबंधित)
3. परियोजना अधिकारी, मिली जलग्रहण क्षेत्र।

**विषय : राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम के संबंध में विभिन्न योजनान्तर्गत दिशा–निर्देश।**

जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम के संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पूर्व मे आदेश क्रमांक–2 दिनांक 25–7–95 एवं आदेश क्रमांक–4, दिनांक 8–11–95 को जारी किये गये हैं। उन आदेशों के तारतम्य में जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर यह अगला आदेश है। कृपया इस परिपत्र को कार्यालय कलेक्टर, जिला पंचायत, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एवं जनपद पंचायत कार्यालयों में व्यापक रूप से प्रसारित करें तथा इसकी एक प्रति सभी कार्यालयों की निर्देश गार्ड नस्ती में रखें।

**1. पृष्टभूमि :–**

भारत शासन की वाटरशेड गाइड लाईन्स (पैरा–36) में वाटरशेड एसोसिएशन का पंजीकृत सोसायटी के रूप में पंजीकृत कराने का उल्लेख है। इस बिन्दु पर मिशन की सशक्त समिति द्वारा दिनांक 16.11.95 को विचार कर निर्णय लिया है कि वाटरशेड एसोसिएशन के स्थान पर पी.आई.ए. एवं वाटरशेड कमेटी को, सोसाइटी के रूप में पंजीकृत कराने के स्थान पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से पंजीकृत कराया जावे। अतः पंजीकरण हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

**2. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के नियमों में पी.आई.ए. तथा वाटरशेड विषयक नये नियमों को जोड़ना :–**

(2.1) सशक्त समिति के दिनांक 16.11.95 के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में पी.आई.ए. तथा वाटरशेड कमेटी का पंजीयन करने विषयक, एक नियमावली परिशिष्ट–1 पर संलग्न है। इस नियमावली को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की नियमावली में समाहित कराया जाना है। चूंकि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एक पंजीकृत संस्था है अतः इस संस्था के नियमों में परिवर्तन कराने हेतु उसकी गवर्निंग बाडी की बैठक तत्काल बुला कर परिशिष्ट–1 पर संलग्न नियमावली को यथावत समाहित करावें। इस नियमावली को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की नियमावली में समाहित कराने के उपरान्त निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुये पंजीयक, फर्मस एवं संस्था को सूचित किया जावे। यह प्रक्रिया दिनांक 31.12.95 तक पूर्ण कर ली जावे तथा इसकी सूचना विकास आयुक्त को दी जावे।

(2.2) पी.आई.ए. एवं वाटरशेड कमेटी के नियमों को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा स्वीकार (adopt) करने से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को पी.आई.ए. तथा वाटरशेड कमेटी को पंजीकृत करने का अधिकार प्राप्त हो जावेगा।

**3. पी.आई.ए. तथा वाटरशेड कमेटी को डी.आर.डी.ए. से पंजीयन कराने हेतु प्रक्रिया :–**

3.1 **परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी (नामांकित पी.आई.ए.) को पंजीकृत करने बाबत् :–**

कलेक्टर द्वारा नामांकित पी.आई.ए. तथा वह परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी जिसका परियोजना
अधिकारी शासकीय व्यक्ति है, को ज्ञापन पत्र एवं संलग्न नियम (परिशिष्ट–2) के साथ जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को आवेदन करना होगा। यह प्रक्रिया समस्त शासकीय अधिकारियों वाली पी.आई.ए. द्वारा अपनायी जावेगी।

(3.2) **एन.जी.ओ.पी.आई.ए.** वह परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी होगी जिसमें स्वयं सेवी संस्था द्वारा मिली वाटरशेड का कार्य लिया जावेगा। ऐसी एजेन्सी के द्वारा ज्ञापन पत्र एवं नियमावली परिशिष्ट–3 के अनुसार संलग्न कर पंजीयन हेतु डी.आर.डी.ए. को आवेदन करना होगा।

(3.3) **वाटरशेड कमेटी** अर्थात ग्राम स्तरीय वाटरशेड कमेटी जिसके गांवों में वाटरशेड योजना के अंतर्गत कार्य लिये जा रहे हैं, को परिशिष्ट–4 पर संलग्न ज्ञापन पत्र एवं नियमों के साथ जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को पंजीयन हेतु आवेदन करना होगा।

(3.4) **उपरोक्त तीनों संस्थायें** (नामांकित पी.आई.ए. एन.जी.ओ.–पी.आई.ए तथा वाटरशेड कमेटी) ज्ञापन पत्र एवं अपने से संबंधित नियमावली के साथ जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में पंजीयन हेतु आवेदन करेगी। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा आवेदन (ज्ञापन एवं नियमावली) का अवलोकन कर उन्हें पंजीकृत किया जावेगा। पंजीयन उपरांत, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण इन संस्थाओं के पंजीयन होने विषयक आदेश जारी करेगी। पंजीकरण प्रमाण पत्र का प्रारूप परिशिष्ट–5 पर है।

कृपया की गई कार्यवाही से मिशन संचालक एवं विकास आयुक्त को अवगत कराने का कष्ट करें।